न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 83/2020 दायर दिनांकः 20/07/2020

उनवान

1. गोविन्दलाल आयु 67 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति किराड़।
2. प्रेमशंकर आयु 65 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति किराड़ निवासीगण मुसई गुजरान तह0 अटरू जिला बारां (राज0) ....वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
एवं 136 एल0आर0एक्ट0 बाबत् नाम दुरस्ती हेतु

उपस्थित :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 23/08/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है, कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, राज0 टीनेन्सी एक्ट एवं धारा 136 एल0आर0 एक्ट बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती का इस आशय का पेश किया है, कि वाके वाके ग्राम एवं माल मुसई गुजरान तहसील अटरू जिला बारां में खाता संख्या 74 का ख0न0 23 का रकबा 0.36 है0 वादीगण के दर्ज खाता हैं तथा खाता संख्या 75 का ख0न0 1151 का रकबा 0.16 है0, ख0न0 1309 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 1625 का रकबा 0.95 है0, ख0न0 1863/362 का रकबा 0.01 है0, ख0न0 1864/876 का रकबा 0.06 है0, ख0न0 1865/1154 का रकबा 0.19 है0, ख0न0 1866/1173 का रकबा 0.31 है0, ख0न0 1867/1319 का रकबा 0.16 है0, ख0न0 1868/1310 का रकबा 0.04 है0, ख0न0 1869/1308 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 1870/1600 का रकबा 0.39 है0, ख0न0 361 का रकबा 0.05 है0 कुल कित 12 का रकबा 3.33 है0 आराजी वादीगण के अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज खाता हैं। नकल नवीन जमाबन्दी खाता संख्या 74 एवं 75 साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:05 IST
Reason: SelfAttested

में संलग्न हैं। दौराने सेटलमेन्ट आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने वादीगण गोविन्दलाल को घर पर गोमदा व प्रेमशंकर को घर पर प्रेम के नाम से पुकारने के कारण सेटलमेन्ट कर्मचारीगण ने वादीगण का नाम खाते में गलती से गोविन्दलाल के स्थान पर गोमदा व प्रेमशंकर के स्थान पर प्रेम दर्ज कर दिया जबकि वादीगण का सही नाम गोविन्दलाल व प्रेमशंकर हैं तथा वादी क्रम 1 का पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में भी सही नाम गोविन्दलाल दर्ज हैं एवं वादी क्रम 2 का पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक, पेन कार्ड तथा ग्राम पंचायत मुसई गुजरान द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी दोनों का सही नाम गोविन्दलाल व प्रेमशंकर दर्ज हैं। बिना सहायता न्यायालय वादीगण का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल व प्रेम के स्थान पर प्रेमशंकर दर्ज किया जाना सम्भव नहीं हैं यदि वादीगण का नाम उक्त वर्णित आराजी में सही नहीं किया गया तो वादीगण को अपने कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी पर के0सी0सी0 ऋण आदि प्राप्त करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेग जिससे वादीगण को अपरिमित क्षति हो रही हैं जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नहीं होगी तथा वादीगण को अनेकानेक वाद विवादों में उलझाना पड़ेगा। इसलिए वादीगण का वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल व प्रेम के स्थान पर प्रेमशंकर दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें। इस हेतु यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार सेटलमेनट कर्मचारीगण द्वारा वादीगण का गलत नाम गोमदा व प्रेम दर्ज कर देने पर तथा अंतिम बार दिनांक 20/06/2020 को श्रीमान तहसीलदार साहब को नाम परिवर्तन का प्रार्थना पत्र देने पर उनके द्वारा न्यायालय में वाद पेश करने की सलाह देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम मुसई गुजरान तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं। वाद [illegible] एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं।

अत : माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर वादीगण विनयी है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न आशय की सादिर फरमायी जावे कि :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:05 IST
Reason: Self Attested

(अ) यह कि वादीगण का वाद पत्र की मद न0 1 में वर्णित ग्राम मुसई गुजरान के खाता संख्या 74 का ख0न0 23 का रकबा 0.36 है0 एवं खाता संख्या 75 के कुल

किता 12 का रकबा 3.33 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल व प्रेम के स्थान पर प्रेमशंकर दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) यह कि अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश नही करने के कारण जवाब दावा बन्द किया गया। साक्ष्यवादी के अन्तर्गत Pw_1 व Pw_2 का शपथ पत्र पेश किया तथा रिकार्ड **EXP** करवाया गया। अभिभाषक वादी की बहस सुनी अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि ग्राम मुसई गुजरान के खाता संख्या 74 का ख0 न0 23 का रकबा 0.36 है0 एवं खाता संख्या 75 के कुल किता 12 का रकबा 3.33 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल व प्रेम के स्थान पर प्रेमशंकर दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित किया जावें

पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड, जमाबन्दी ग्राम मुसई गुजरान के खाता संख्या 74 का ख0 न0 23 का रकबा 0.36 है0 एवं खाता संख्या 75 के कुल किता 12 का रकबा 3.33 है0 आराजी में सहखातेदार के रूप में वादी क्रम 1 का नाम गोमदा पुत्र धन्ना तथा वादी क्रम 2 का नाम प्रेम पुत्र धन्ना दर्ज है। भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र, आधारकार्ड, परिवार राशन कार्ड, जनआधार, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग का पेन कार्ड आदि में वादी क्रम 1 का नाम गोविन्द लाल पुत्र धन्नालाल तथा वादी क्रम 2 का नाम प्रेमशंकर पुत्र धन्नालाल दर्ज है। तथा ग्राम पंचायत मुसई गुजरान के प्रमाण पत्र अनुसार भी वादी क्रम 1 का सही नाम गोविन्द लाल पुत्र धन्नालाल व वादी क्रम 2 का सही नाम प्रेमशंकर पुत्र धन्नालाल है।

प्रस्तुत रिकार्ड व साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:05 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम मुसई गुजरान के खाता संख्या 74 का ख0न0 23 का रकबा 0.36 है0 एवं खाता संख्या 75 के कुल किता 12 का रकबा 3.33 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण

का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल व प्रेम के स्थान पर प्रेमशंकर दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:05 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 83/2020

उनवान

1. गोविन्दलाल आयु 67 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति किराड़।
2. प्रेमशंकर आयु 65 वर्ष पुत्र धन्नालाल जाति किराड़ निवासीगण मुसई गुजरान तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

..........वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

...........प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, आर0टी0एक्ट0
एवं 136 एल0आर0एक्ट0 बाबत् नाम दुरस्ती हेतु

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू...............X..............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम मुसई गुजरान के खाता संख्या 74 का ख0न0 23 का रकबा 0.36 है0 एवं खाता संख्या 75 के कुल किता 12 का रकबा 3.33 है0 आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादीगण का नाम गोमदा के स्थान पर गोविन्दलाल व प्रेम के स्थान पर प्रेमशंकर दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X....................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 23/08/2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	[illegible]र्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प [illegible]र्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हु[illegible]नाम	मह[illegible] वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	ख[illegible]	
मिजान		मिजान	

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.10.08 12:55:05 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)